अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. गिर्राज
2. गोपाल पुत्रान स्व. नाथू
3. कजोड
4. रामजीलाल पुत्रान स्व. भूरा समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम चक भाजूपुरा तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. भगवती पत्नि बदरी जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम चक भाजूपुरा तह. बस्सी।
2. बद्री पुत्र गंगल्या जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम चक भाजूपुरा तह. बस्सी।
3. सूरजमल
4. प्रहलाद पुत्रान लादूराम जाति हरि. ब्राहमण निवासी नयागांव तह. बस्सी।
5. गोकुल
6. गोपाल
7. बनवारी पुत्रान मूलचन्द जाति खाती निवासी ग्राम चक भाजूपुरा तह. बस्सी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
9. उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 58/17

निर्णय दिनांक 18.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। जिनकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। वादी व प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया। तहसीलदार बस्सी से मौके पर केम्प कोर्ट में वस्तु स्थिति की जानकारी ली गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि भूमिवादग्रस्त के मूल ख.नं. 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा थे जोकि वाके ग्राम चक भाजूपुरा पटवार हल्का मनोहरपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर में स्थित है जिसके पूर्व में काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्वज स्व. भूरा पुत्र गंगाविशन थे। प्रतिवादीगण सं. 2 ने अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 50 मी. रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नया ख.नं. तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलीभगत कर 50/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कायम करवाकर अलग से जमाबंदी तैयार करवा ली थी एवं उक्त भूमि को दिनांक 15.11.1973 को जरिये रजि. दान पत्र के प्रतिवादीया सं. 1 के पक्ष में हस्तानान्तरण कर दिया था व उक्त दान पत्र के आधार पर प्रतिवादीया सं. 1 के पक्ष में उक्त दानपत्र के आधार पर दिनांक 28.11.73 को नामान्तकरण तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का से भरवाकर तस्दीक कर दिया था। भूमिवादग्रसत के मूल ख.नं. 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के 1 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार वादीगण के पूर्वज स्व. भूरा पुत्र गंगाविशन व 1 बीघा 4 बिस्वा के खातेदारों प्रतिवादी सं. 2 के पूर्वजों गोरया पुत्र बिरदा व स्व. गंगल्या पुत्र बिरदा के मध्य विधिवत विभाजन सक्षम राजस्व न्यायालय से नही हुआ था एवं न ही उसके पश्चात वादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. नाथू व वादी सं. 2 व 3 व प्रतिवादी सं. 2 के मध्य भी भूमिवादग्रस्त मूल ख.नं. 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का विधिवत विभाजन सक्षम राजस्व न्यायालय से नही हुआ था। वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीया सं. 1 व प्रतिवादीगण 3 लगा 7 के विरुद्ध बाबत नक्शा दुरुस्ती का डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद सं. 8 व 9 में वर्णित भूमिवादग्रस्त के हाल ख.नं. 50/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 50/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम चक भाजूपुरा पटवार हल्का मनोहरपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के वर्तमान नक्शा ट्रेस को भूमिवादग्रस्त के साबिका नक्शा ट्रेस मूल ख.नं. 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के मुताबिक दुरुस्त कर पुनः भूमिवादग्रस्त के मूल ख.नं. 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के नक्शा ट्रेस में से ख.नं. 50/2 ...

नक्शा ट्रेस में वादीगण व प्रतिवादिया सं. 1 व प्रतिवादीगण 3 लगा 7 के नाम खातेदारी में जमाबंन्दियों में दर्ज रकबों के मुताबिक नक्शे में तरमीम हो सकें। वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीया सं. 1 व प्रतिवादीगण 3 लगा 7 के विरुद्ध बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद सं. 8 व 9 में वर्णित भूमिवादग्रस्त के संबंध में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमिवादग्रस्त के वर्तमान नक्शा ट्रेस के साबिका नक्शा ट्रेस के मुताबिक दुरुस्त होकर पुनः तहसीलदार बस्सी व पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी मे दर्ज रकबों के मुताबिक तरमीम नहीं हो जाने तक भूमिवादग्रस्त ख.नं. 50/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर कोई पुख्ता निर्माण नहीं करे, न ही वादीगण को बेदखल करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

उक्त वाद का प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार भूरा पुत्र गंगाबिशन ने ख.नं. 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 2 के पूर्वजों को कर दिया। प्रतिवादी क्रय तिथि से आज दिन तक संलग्न नजरी नक्शेनुसार काबिज काश्त है अपने पुख्ता मकानात बना रखे है 1 बीघा 4 बिस्वा पर काबिज है। मूल ख.नं. 50 का 1973 में तत्कालीन खातेदारों द्वारा विधि सम्मत बंटवारा कर लिया एवं नवीन खसरा नम्बर 50/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा(प्रतिवादी) का व ख.नं. 50/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा(वादी) का कायम किये गये। एवं जमाबंदी बनाई गई। परंतु तत्कालीन समय में नक्शे में तरमीम नहीं की गई। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी द्वारा ख.नं. 50/1 व 50/2 की राजस्व नक्शे में तरमीम की गई। उक्त तरमीम वास्तविकता के विपरित पक्षकारों के कब्जे काश्त एवं पुख्ता निर्माण के विपरीत कर दी गई है। जबकि प्रतिवादीगण अपनी 50/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा जिसे पीले रंग से दर्शित किया गया है काबिज काश्त है व वादीगण 50/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा संलग्न नजरी नक्शा पर काबिज काश्त है व वर्तमान राजस्व नक्शे को मुताबिक पक्षकारों के कब्जे के मध्यनजर दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। ख.न. 50/1 व 50/2 के रकबे को संयुक्त रुप से नपती करने पर पूरा 2 बीघा 4 बिस्वा बैठता है। अतः भूमि कम होने का कथन गलत है। अतः जवाबदावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के वाद पत्र को खारिज फरमाते हुये वर्तमान राजस्व नक्शे को जवाब दावे के साथ संलग्न नक्शे के मुताबिक दुरुस्त कर रकबा बरारी कर नक्शा मुताबिक कब्जा दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

राजस्व लोक अदालत कैम्प में दोनों पक्षकारों ने उपस्थित होकर मौके अनुसार तरमीम कर नक्शा दरुस्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन, तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट व वादी व प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुनने तथा नक्शा दुरुस्तीकरण हेतु सहमति देने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख. नं. खसरा नम्बर 50/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व ख.नं. 50/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम चक भाजूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

वादी:

1. गिर्राज
2. गोपाल पुत्रान स्व. नाथू
3. कजोड
4. रामजीलाल पुत्रान स्व. भूरा
   समस्त जाति हरि. ब्राहमण
   निवासी ग्राम चक भाजूपुरा
   तह. बस्सी।

प्रतिवादी:

1. भगवती पत्नि बदरी
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम
   चक भाजूपुरा तह. बस्सी।
2. बद्री पुत्र गंगल्या
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम
   चक भाजूपुरा तह. बस्सी।
3. सूरजमल
4. प्रहलाद पुत्रान लादूराम
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी
   नयागांव तह. बस्सी।
5. गोकुल
6. गोपाल
7. बनवारी पुत्रान मूलचन्द
   जाति खाती निवासी ग्राम चक
   भाजूपुरा तह. बस्सी।
8. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बस्सी।
9. उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.05.2018

मुकदमा नम्बर 58/17

वादग्रस्त आराजी ख. नं. खसरा नम्बर 50/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व ख.नं. 50/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम चक भाजूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्त किया जावे। .... निजी..................मुबलिक.....................बाबत..खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.18 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त........................ सहायक कलक्टर एवं

ओहदा.......................... कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी, जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता			महन्ता		
वकील			वकील		
खर्चा			खर्चा		
गवाहन			गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत			बाबत		

contd...2

इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

2.